/139420/2023

प्रेषक,

दिलीप जावलकर
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 21 जुलाई, 2023

विषयः जनसामान्य को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं हेतु उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) के पुनरीक्षण के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उल्लेख करना है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा जनसामान्य को अनेक प्रकार की जनसुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिनमें से कतिपय सेवाओं हेतु संबंधित विभागों अथवा उनके अधीनस्थ ऐजेन्सियों द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क (**User Charges–उपयोगकर्ता शुल्क से तात्पर्य कोई भी शुल्क (Fee) से है, चाहे उसे विभिन्न विभागों /एजेंसियों में किसी भी अन्य नाम से जाना जाय**) भी जनसामान्य से वसूला जाता है। उक्त उपयोगकर्ता शुल्क की दरों को प्रचलित बाजार मुद्रास्फीति से जोड़ा जाना आवश्यक है ताकि नियमित मात्रा में एक अल्प धनराशि में वृद्धि से जनसामान्य पर एकमुश्त बोझ न पड़े एवं जनसेवाओं के अनुरक्षण हेतु भी धनराशि प्राप्त होती रहे। विगत में विभागों द्वारा 03 से 05 वर्ष के अन्तराल पर उपयोगकर्ता शुल्क में बढोतरी किए जाने की प्रवृत्ति रही है, जो एकमुश्त अधिक दिखाई देती है।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के विभिन्न सेवा प्रदाता विभागों/एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं हेतु अधिरोपित किए गये उपयोगकर्ता शुल्क को जनसामान्य के अनुरूप बनाने हेतु दरों के पुनरीक्षण के संदर्भ में निम्नानुसार दिशानिर्देश निर्गत किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. प्रत्येक सेवा प्रदाता विभाग द्वारा जनसामान्य को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं हेतु उपयोगकर्ता शुल्क, यदि लागू हो, में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 05 (पांच) प्रतिशत की बढोतरी की जाएगी ताकि उपयोगकर्ता शुल्क को वर्तमान मुद्रास्फीति दर से जोड़ा जा सके। उक्तानुसार पुनरीक्षित दरें प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से लागू होंगी जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 के संदर्भ में उक्त बढोतरी शासनादेश लागू होने की तिथि से लागू होंगी।
2. यदि किसी विभाग द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क में न्यूनतम 05 प्रतिशत से कम का परिवर्तन किया जाना हो तो संबंधित विभाग तत्संबंधी औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर मा. मंत्रिमण्डल की स्वीकृति प्राप्त कर उक्तानुसार पुनरीक्षण की दरों को कम कर सकता है।
3. यदि किसी विभाग को उपयोगकर्ता शुल्क में न्यूनतम 05 से अधिक प्रतिशत की वृद्धि करनी औचित्यपूर्ण एवं व्यवहारिक प्रतीत होती है तो सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से यह वृद्धि करने में सक्षम होगा। सामान्यतः पुनरीक्षण इस प्रकार लागू किया जाये कि सम्बन्धित इकाई की संचालन लागत (Operational Cost) एवं उन्नयन लागत (Upgradational Cost) का वहन सुनिश्चित हो सके।



Generated from eOffice by GOVIND SINGH, RO-FINANCE-GS, RO-FINANCE, Finance Department on 21/07/2023 10:47 AM

Scanned with OKEN Scanner

4. समस्त विभाग अपने–अपने Web Portal/App के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण (Collection) हेतु U.P.I. की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

3– कृपया उपरोक्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by Dilip Jawalkar
Date: 20-07-2023 15:52:56
( दिलीप जावलकर )
सचिव

संख्या 139420 (1)/XXVII (1)/2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6– महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड।
7– आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड फाइल।

( दिलीप जावलकर )
सचिव।



Generated from eOffice by GOVIND SINGH, RO-FINANCE-GS, RO-FINANCE, Finance Department on 21/07/2023 10:47 AM

Scanned with OKEN Scanner